

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

क्रमांक एफ ए 3-29/2017/1/पांच (62)

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 17 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (तीन) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के संबंध में उस स्थिति में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसी सेवाओं का, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-29/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-29/2017/1/पांच (62), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

No. F A 3-29/2017/1/FIVE(62)

Bhopal, Dated: 30/06/2017

In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) (A) of clause (b) of sub-section (5) of section 17 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby, specifies that the input tax credit of rent-a-cab, life insurance and health insurance would be available in case the provisions of these service is obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force.

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.